न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : **35/21 (वि.प्रा.पत्र)**
GCMS No : 2021/288

1. श्री नारू पिता रोडा गुर्जर निवासी जावड तह. मावली।
2. श्री प्रभुसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी बिजलाई तह. नाथद्वारा।

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्रीमती नवली पत्नी डालु मेघवाल निवासी जावड तह. मावली।(**फौत**)
2. श्री भेरा पिता डालु मेघवाल निवासी जावड तह. मावली।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का जावड तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र कुमार लक्षकार, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 19.01.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 4023, 4039, 4040, 4041 किता 4 रकबा 2.9881 हेक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी सं. 1 के नाम 1/8 एवं प्रार्थी सं. 2 के नाम 161/363 हिस्सा से दर्ज हैं।

2. यह कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर काश्त करते हुए आ रहे है प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि पर आने जाने के लिए वर्तमान में कोई भी रास्ता राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज नहीं हैं प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि पर आराजी सं. 56/4022 किस्म बंजड से विगत कई वर्षों से आ जा रहे है जो प्रार्थीगण की आराजी से सटमा है जिसके खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण 1 व 2 हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए कोई भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज मार्ग उपलब्ध नहीं है चारों ओर खातेदारी कृषि भूमियां है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने ओर वाहन लाने ले जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड रहा है, मौके पर रास्ते को लेकर भी विपक्षीगणों से लडाई झगडा होता रहता हैं।

3. यह कि दिनांक 18.08.2021 को प्रार्थीगण को विपक्षीगण सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण को खातेदारी कृषि भूमि पर जाने से रोक दिया ओर मार्ग अवरूद्व कर दिया ओर कहने लगे कि ये हमारी खातेदारी कृषि भूमि है उक्त रास्ता हम बंद कर रहे है और तुम्हे अपनी जमीन पर जाना है तो कोई ओर रास्ता बना लो इस जमीन में से होकर हम तुमको अब आने जाने नहीं देगे और रास्ता बंद कर दिया। प्रार्थीगण ने काफी समझाईश की लेकिन विपक्षीगण नहीं माने और मौके पर चालू रास्ते पर आने जाने से मना कर दिया। अभी काश्त का समय है प्रार्थीगण ने अपने अपने खेतों में बुवाई कर रखी है, फसल की देखभाल करने व खेतो पर आने जाने के लिए मार्ग नहीं होने से प्रार्थीगण की फसल खराब हो रही है, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर विपक्षी सं. 1 व 2 की खातेदारी में होकर ही आते जाते है, जिस पर मौके पर भी रास्ता बना हुआ है, लेकिन विपक्षीगण की खातेदारी होने से प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने से मना कर दिया हैं।

4. यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 18.08.2021 को प्रारम्भ हुआ जब विपक्षी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए सुचारू मार्ग को बंद कर दिया ओर उनकी खातेदारी से आने जाने से मना कर दिया। प्रार्थीगण ने रास्ता कायम कराने के लिए भी निवेदन किया लेकिन विपक्षीगण ने रास्ता देने से मना कर दिया ओर तभी से प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर काश्त हो रही है मार्ग बंद कर देने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि आने जाने से वंचित हो जायेंगे उनकी फसले खराब हो जायेगी। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए सुगम मार्ग की उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है, विपक्षीगण की खातेदारी में से रास्ता उपलब्ध कराने में जो भी न्यायालय शुल्क निर्धारित करेगा वो प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदार भी विपक्षीगण की खातेदारी कृषि भूमि से ही आते जाते हैं।

6. अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 5639/4022 किस्म बंजड में से कायम किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में रास्ता के रूप में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। उक्त भूमि में से रास्ता कायम किये जाने बाबत् समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 फौत होकर इनके वारिस पूर्व से ही पत्रावली पर उपलब्ध हैं। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से पटवार रिपोर्ट प्राप्त की।

9. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

   प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 4023, 4039, 4040, 4041 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

   तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौडाई भी अंकित की जावे।

   तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के आराजी नम्बर 5039/4022 में से 0.0567 हेक्टेयर भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 1[illegible] फीट चौडी हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 11,69,910/— अक्षरे ग्यारह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ दस रूपयें प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested

हेक्टेयर हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.0567 हेक्टेयर की कुल कीमत 66,334/– अक्षरे छियासठ हजार तीन सौ चौतीस रूपयें होना बताया हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा जावड पटवार क्षैत्र जावड की आराजी नम्बर 4023, 4039, 4040, 4041 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की भूमि आराजी नम्बर 5639/4022 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। उक्त रास्ता वर्षों से बना होकर वादग्रस्त आराजीयात के सटमा होकर प्रार्थीगण द्वारा पूर्व से ही इसका उपयोग उपभोग करना बताया है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षी सं. 1 फौत हो चुके है जिसके वारिस विपक्षी सं. 2 हैं। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 15 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 5639/4022 मे से 0.0567 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 0.0567 हेक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : <u>आदेश</u> : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार क्षैत्र जावड की आराजी नम्बर 4023, 4039, 4040, 4041 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 की आराजी नम्बर 5639/4022 में से 0.0567 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 11,69,910/– अक्षरे ग्यारह लाख उनहत्तर हजार नौ सौ दस रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0567 हेक्टेयर की कुल कीमत 66,334/– का दुगुना 1,32,668/– अक्षरें एक लाख बत्तीस हजार छः सौ अडसठ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी सं. 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:38:06 IST
Reason: Self Attested

दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 2 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:58:06 IST
Reason: SelfAttested